भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

0

Rs.10

NOTARIAL NOTARIAL

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 43AE 945227

इकरारनामा बय बिला कब्जा

तयशुदा कीमत रूपया – 39,00,000/– (उन्तालीस लाख) रू0

पेशगी रूपया – 2,00,000/– (दो लाख) रूपया

स्टाम्प शुल्क रूपया –

प्रथम पक्ष गैर अनुसूचित जाति का है द्वितीय पक्ष गण अनुसूचित जाति के है

भूमि का प्रकार – आवासीय प्लाट

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (2) 43AE 945228

डा0 रामशंकर मिश्रा पुत्र रामगोपाल मिश्रा निवासी 53 प्रथम तल सौमीनगर नार्थ न्यू देलही 110017 हाल मुकाम बी–1/206 निराला नगर लखनऊ। आधार नं0 6026 0371 9582 ....प्रथम पक्ष

<u>ए व म्</u>

1. श्वेता चन्द्रा पुत्री जियालाल निवासिनी 112 पटेल नगर एक्स टेन्सन इन्दिरा नगर लखनऊ उ0प्र0 226016, आधार नं0 5234 7735 2565
2. सावन कुमार विकास पुत्र श्री ब्रम्हादीन निवासी ग्राम दौलतपुर पोस्ट हुमायूँपुर जिला सीतापुर उ0प्र0 261001, आधार नं0 2813 5541 1486..द्वितीय पक्ष गण

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 43AE 945229

विदित हो कि प्रथम पक्ष मालिक काबिज प्लाट सं0 48 खसरा नं0 232 का मिनजुमला क्षेत्रफल 4000 वर्ग फिट अर्थात 371.747 वर्ग मीटर स्थित ग्राम रायपुर पर0 व तह0 व जिला लखनऊ का हूं। उपरोक्त वर्णित प्लाट को मैंने कुलदीप श्रीवास्तव पुत्र श्री रघुवंश कुमार अवस्थी निवासी मोहल्ला राहतगंज सफीपुर जिला उन्नाव बहैसियत मुख्तारआम मिनजानिब मोना अवस्थी पत्नी श्री रमाकान्त अवस्थी निवासिनी मोहल्ला हिबुल्लापुर सीतापुर रोड शहर लखनऊ से दिनांक 18.07.2005 को क्रय किया था। जिसका पंजीयन दिनांक 18.07.2005 को उपनिबन्धक द्वितीय कार्यालय लखनऊ में बही नं0 1 जिल्द सं0 5178 पृष्ठ सं0 287 से 308 पर क्रमांक

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AE 945230

6669 पर रजिस्ट्रीकृत है। उपरोक्त भूमि मेरे कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो हर प्रकार के विक्रय बन्धक दान आदि से पूर्णतया बरी पाक साफ है। आराजी प्लाट सं0 48 खसरा नं0 232 का मिनजुमला क्षेत्रफल 4000 वर्ग फिट अर्थात 371.747 वर्ग मीटर स्थित ग्राम रायपुर पर0 व तह0 व जिला लखनऊ का प्रथम पक्ष बिना किसी साझी अंशी के मालिक काबिज है उक्त प्लाट हर प्रकार के भार से बरी व पाक साफ है। प्रथम पक्ष को सम्पूर्ण अधिकार हासिल है प्रथम पक्ष को रूपयो की सख्त आवश्यकता है इसलिए उक्त आराजी को विक्रय करने की बातचीत शुरू की है जिसमे द्वितीय पक्ष उक्त प्लाट को रूपया मु0 39,00,000/–

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 43AE 945231

(उन्तालीस लाख रूपया) मे क्रय करना चाहते है इससे ज्यादा कीमत अन्य कोई देने को तैयार नही है इसलिए विचार किया कि द्वितीय पक्ष से ही आराजी का सौदा तय कर लिया जाये लिहाजा प्रथम पक्ष अपनी स्वस्थ व सचेत मानसिक स्थिति में बिना किसी जोर दबाव के प्रसन्नता पूर्वक प्लाट उपरोक्त का सौदा मु0 39,00,000/– (उन्तालीस लाख रूपया) रू0 मे द्वितीय पक्ष से तय करके नीचे लिखी शर्तो के आधार पर पाबंद होते है :–

धारा–1 : यह कि उक्त प्लाट का सौदा मूल्य मु0 39,00,000/– (उन्तालीस लाख रूपया) मे तय पाया गया है तथा प्रथम पक्ष ने द्वितीय

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AE 945232

पक्ष से रूपया 2,00,000/- (दो लाख) रूपया इस लेख पत्र के पूर्व जरिये **RTGS** खाता सं0 33006305854 से वसूल पा लिया है तथा शेष रकम मु0 37,00,000/- (सैंतीस लाख) रूपया बरवक्त रजिस्ट्री बैनामा प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से वसूल पायेगा।

धारा-2 : यह कि उक्त प्लाट मे कब्जा प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को बरवक्त बैनामा दे देगा।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AE 945233

धारा–3 : यह कि दोनो पक्षो के मध्य यह तय हुआ है कि उक्त प्लाट का बैनामा प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के हक में अन्दर मियाद 3 माह में कर देगा।

धारा–4 : यह कि किसी वजह से तय शुदा मियाद के अन्दर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के हक में उक्त प्लाट का बैनामा न करें अथवा बैनामा करने मे हीला हवाली करे तो द्वितीय पक्ष जरिये अदालत उक्त प्लाट का बैनामा करा सकता है। इसमे जो अदालती हर्जा खर्चा होगा उसकी अदायगी प्रथम पक्ष करेगा।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AE 945234

धारा–5 : यह कि यदि किसी वजह से उक्त प्लाट मे प्रथम पक्ष की मिल्कियत करार न पायी जावे, या कोई कानूनी नुक्श पैदा हो तो द्वितीय पक्ष का दिया गया कुल रूपया मय हर्जा खर्चा वापस होगा।

धारा–6 : यह कि उपरोक्त लिखी शरायत के पाबंद प्रथम पक्ष व उसके वारिसान भी होगें।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AE 945235

– चौहद्दी –

पूरब	– रास्ता 20 फुट
पश्चिम	– प्लाट संख्या 47
उत्तर	– प्लाट संख्या 49
दक्षिण	– रास्ता 20 फुट

लिहाजा खूब पढ़, सुन व समझ कर बिना किसी जोर दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क मे प्रसन्नता पूर्वक समक्ष गवाहान यह लेखपत्र इकरारनामा बय बिला कब्जा तहरीर कर दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

43AE 945236

दिनांक :

मसविदाकर्ता व फोटो प्रमाणित द्वारा गवाहानो की शिनाख्त पर –

ह0/नि0अं0 प्रथम पक्ष

ह0/नि0अं0 द्वितीय पक्ष

गवाह नं0 1 – राम प्रकाश

गवाह नं0 2 – अजय अवस्थी

Scanned by CamScanner